न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव कोर्ट, पोक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः सुधा, "उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा" (प्रभारी)
(Judicial Officer ID No. UP01864)
जमानत आवेदन संख्या:- 1138/2026
(CNR No.- UPET010039452026)

अजय कुमार यादव आयु करीब 25 साल पुत्र मुकेश चंद्र निवासी ग्राम मौहकमपुर, थाना मारहरा, जिला एटा।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

1. उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), एटा।
2. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, एटा।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा।
4. वादी मुकदमा, निवासी सराय बूलेखां, थाना मारहरा, जिला एटा।

.....अभियोजन पक्ष

धारा– 69, 351(3)बी0 एन 0 एस 0
व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट
अ०सं०– 89/2026
थाना– मारहरा, जिला एटा

17.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र, मय शपथ पत्र, अभियुक्त अजय यादव की ओर से मु0 अ०सं० 89/2026 अन्तर्गत धारा 69, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना मारहरा, जिला एटा के अभियोग में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न शपथ पत्र के अनुसार अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र नोटप्रेस कर दिया गया था। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न खारिज किया गया है ना ही विचाराधीन है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता उम्र 16 व कक्षा 11 की एम०जी०एच०एम० इण्टर कालेज मारहरा की छात्रा थी, जिसके स्कूल आते जाते समय अजय यादव पुत्र मुकेश निवासी मौहकमपुर, थाना मारहरा बातचीत करने का प्रयास करता था, जिस पर उसकी पुत्री ने अजय यादव से कह कि यदि तुम जबरदस्ती बात करेंगे तो मैं तेरी शिकायत अपने घर वालों से करूँगी, किन्तु अजय यादव इसके बाद भी वादी की पुत्री को स्कूल आते जाते समय लोभ प्रलोभन एवं फोन दिलाने की कहकर बहला फुसलाकर एक वर्ष पूर्व एक कीपेड मोबाइल, जिसमें अजय यादव के नाम की सिम पडी हुई थी, जिसका मो0 नं0 8650043009 है, लेकर दे दिया और कहा कि हम दोनो के दिल की बातचीत होती रहेगी और अजय यादव पीड़िता से अपने मो0 नं0 7988702138 से लगातार बात करते हुये वादी की पुत्री को शादी करने का झाँसा देते हुये अपने जाल में फंसा लिया। जिससे पीड़िता अजय यादव की हर बात मानने लगी और उसके बुलाने पर अकेली मिलने लगी। अजय यादव ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर उसके साथ कई बार नाजायज शारीरिक सम्बन्ध और जोर–जबरदस्ती से स्थापित कर लिये और अब एक माह से अजय यादव ने मोबाइल से पीड़िता से बात करना बन्द कर दिया और उसका मो0 नं0 8650043009 ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, जिससे

Digitally signed by SUDHA RANI
Date: 2026.06.17 12:23:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पीड़िता को चिन्ता होने लगी, जो अजय यादव उसके साथ मरने जीने की कस्में खाता था, उसने मो0 नं0 ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। पीड़िता ने अजय यादव द्वारा 1 वर्ष पूर्व की गयी हरकतों के बारे में सारी बात अपनी माँ को बतायी और वादी की पत्नी ने उपरोक्त घटना के बारे मे सारी जानकारी उसको दी, तो वादी अजय यादव के गांव मौहकमपुर गया तो ज्ञात हुआ कि अजय यादव पूर्व से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं और वह गांव से भागा हुआ है। प्रार्थी की पुत्री के साथ अजय यादव द्वारा जाना आवश्यक है। प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर अजय यादव के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बेगुनाह व निर्दोष है, उसे मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है, उसने उक्त मुकदमा से संबंधित कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना की कोई दिनांक एवं समय अथवा घटना स्थल को अंकित नहीं किया गया है तथा बिना घटना की दिनांक व समय व स्थान बताये दुष्कर्म जैसे गम्भीर आरोप लगाया जाना अभियोजन कथानक को मनगणन्त संदिग्ध तथा अविश्वसनीय बनाता है।वादी की पुत्री के साथ कथित घटना करीब एक साल तक कारित किया जाना बताया है, परन्तु इस अवधि में न तो किसी प्रकार की शिकायत पीडिता द्वारा अपने परिजनो से व अपने स्कूल में एवं पुलिस मे न किया जाना यह स्पष्ट करता है कि मामला आपसी प्रेम प्रसंग का प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अभियोजन के अनुसार कथित पीडिता अभियुक्त से लगातार फोन पर बात करती थी एवं स्वेच्छा से मिलती–जुलती थी। किसी प्रकार के बल प्रयोग अथवा धमकी एवं विरोध किये जाने का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा पीडिता को मोबाइल उपलब्ध कराया जाना कहा गया, जिसपर लगातार अभियुक्त से बातचीत होना तथा एक साल तक सम्पर्क रहा, किन्तु ऐसी कोई साक्ष्य वादी द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं बयान पीडिता अन्तर्गत धारा 180 एवं 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 विरोधाभासी हैं। आवेदक/अभियुक्त हरियाणा के झज्जर मे मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता है। जहां से पुलिस द्वारा पकडकर लाया गया है और गिरफ्तारी मीमो मे जनपद एटा से फर्जी गिरफ्तारी दिखायी गयी है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मौजूद नहीं है तथा अभियुक्त को पीडिता के साथ देखे जाने की भी कोई साक्ष्य नही है। मामला काफी विलम्ब से लगाये मौखिक आरोपों पर आधारित है जिनका परीक्षण मुकद्दमा के विचारण में हो सकेगा। इन परिस्थतियो में प्रार्थी अभियुक्त का निरंन्तर जेल में निरूद्ध रहना न्याय संगत नही है। आवेदक/अभियुक्त शादी शुदा व्यक्ति है। वर्तमान में छोटा बच्चा है जो अभियुक्त के संरक्षण व पालन पोषण पर निर्भर है, अभियुक्त के जेल में रहने से पूरा परिवार आर्थिक व सामाजिक संकट में है। वादी मुकददमा द्वारा कथित पीडिता की उम्र जान बूझकर कम दर्ज करायी गयी है जबकि मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार कथित पीडिता की उम्र 17–18 साल बतायी गयी है जो कि सहमति की है।आवेदक/अभियुक्त दिनाक 26.05.2026 से मुकददमा उपरोक्त मे जिला कारागार एटा मे निरूद्ध है।आवेदक/अभियुक्त अपनी उचित जमानत दाखिल करने को तैयार है तथा दौरान विचारण मुकददमा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा अथवा पीड़िता को विवाह का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ एक से अधिक बार मैथुन कर बलात्संग/गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करने व पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है एवं अजमानतीय है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. उभय पक्षों के कथनों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा केस डायरी के साथ पीड़िता की आयु के बावत माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी हाईस्कूल परीक्षा–2025 का प्रमाण पत्र सह–अंकपत्र संलग्न किया गया है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 14.09.2009 अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक उल्लिखित नहीं की गई है, परंतु यह भी कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक अर्थात 25.05.2026 से लगभग 1 वर्ष पूर्व से अभियुक्त द्वारा कई बार घटना कारित की गई है। अतः पीडिता के उक्त

शैक्षणिक प्रपत्र के आधार पर पीड़िता की आयु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय लगभग **16 वर्ष 08 माह 11 दिन** होती है, जिसके अवलोकन से पीड़िता प्रथम दृष्टया घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क प्रतीत होती है। पीड़िता की आयु के बावत उसका कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर संलग्न है। जिसके अनुसार घटना की दिनांक को पीड़िता की आयु 17 से 18 वर्ष के मध्य होना अंकित है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आयु निर्धारण करते समय यदि स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड द्वारा हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा सम्तुल्य प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध है, तो उसे वरीयता दी जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता की आयु के बावत माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी हाईस्कूल परीक्षा–2025 का प्रमाण पत्र सह–अंकपत्र केस डायरी के साथ संलग्न हैं, जिसके आधार पर पीड़िता प्रथम दृष्टया **नाबालिग** प्रतीत होती है।

8. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा अथवा पीड़िता को विवाह का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ एक से अधिक बार मैथुन कर बलात्संग/गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करने व पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित करने जैसे गम्भीर अपराध कारित करने का अभियोग है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पीड़िता ने अपने बयान 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ शादी करने की बात कहने, पीड़िता द्वारा मना करने पर उसके माता पिता को मारने की धमकी देने, अभियुक्त द्वारा डरा–धमकाकर शारीरिक संबंध बनाने का कथन किया है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में अभियुक्त अजय यादव को डेढ़ वर्ष से जानने, कुछ माह पूर्व पीड़िता के साथ जबरदस्ती व माता पिता को मारने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने, अभियुक्त द्वारा स्वयं का विवाहित व दो बच्चो का पिता होने की बात को छुपाने का कथन किया है। पीड़िता ने अपने बयान अतंर्गत धारा 180 व 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगभग डेढ वर्ष पूर्व से लगातार डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का कथन किया है। यद्यपि पीड़िता द्वारा अपने बयानों में घटना की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु घटना की तिथि मात्र का उल्लेख नहीं करने से अपराध कारित किए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। यहां यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण का अभियुक्त स्वयं एक 25 वर्ष का विवाहित पुरूष है, जो कि दो बच्चों का पिता भी है।एक वयस्क एवं विवाहित पुरूष द्वारा एक लगभग 16 वर्षीय बालिका को विवाह का वचन देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने तथा उसके माता पिता का जान से मारने की धमकी देने का कृत्य अत्यंत निंदनीय तथा अक्षम्य अपराध है। अभियोजन कथानक विचारण का विषय है। अभियुक्त तथा पीड़िता की आयु के मध्य लगभग 09 वर्ष का अंतर है। ऐसे में अभियुक्त/आवेदक को जमानत दिये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

9. अतः ऐसी स्थिति में मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को उक्त अपराध में जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त अजय कुमार यादव आयु करीब 25 साल पुत्र मुकेश चंद्र निवासी ग्राम मौहकमपुर, थाना मारहरा, जिला एटा का यह जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

10. मु0 अ०सं० 89/2026 अन्तर्गत धारा 69, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना मारहरा, जिला एटा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **अजय यादव** की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(सुधा)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव कोर्ट, पॉक्सो एक्ट)/
दिनांक–17.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश, एटा
(J.O.ID No. UP01864)